हाईवे व ब्रिज बनाने वाली जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर आयकर का छापा

उदयपुर, जोधपुर, जयपुर सहित दिल्ली, गुजरात, यूपी, एमपी और हरियाणा स्थिति 40 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया

- सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं
- आयकर के छापे से कंपनी से जुड़े व्यवसायियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा

उदयपुर, (कासं)। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने नेशनल हाइवे और ब्रिज बनाने वाली नामी और बड़ी ठेकेदार कंपनी उदयपुर की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी पर गुरूवार सुबह छापेमारी की है।

जानकारी के अनुसार सुबह छह बजे आयकर विभाग की करीब 40 से अधिक टीमों ने एक साथ जीआर इंफ्रा के राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर सहित दिल्ली, गुजरात, यूपीए एमपी और हरियाणा स्थिति 40 ठिकानों पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अलसुबह हुई कार्रवाई से जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी से जुडी दूसरी बड़ी कंपनियों, व्यवसायियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरी कार्रवाई राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के संयुक्त निदेशक अवधेश कुमार के नेतृत्व में चल रही है।

जानकारी के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन में 200 से अधिक आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। कंपनी के प्रबंधकों और निदेशकों से दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज और डिजीटल डॉक्यूमेंट बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। बड़े स्तर पर अघोषित संपत्ति के खुलासे की संभावना है।

गौरतलब है कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी देश में नेशनल हाइवे बनाने की नामी और बड़ी ठेकेदार कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से देश में सरकारी एजेंसीज के जरिए हाइवे, ब्रिज, रेलवे ट्रेक, रेलवे ब्रिज, टनल, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोप-वे बनाने, लॉजिस्टिक पार्क डवलप करने जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। आयकर विभाग की जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी पर अघोषित संपत्ति की गोपनीय सूचनाओं के चलते लंबे समय से नजर थी। संभावना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कंपनी द्वारा बड़े स्तर पर फंड रोटेशन कर अघोषित संपत्ति जमा की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग ने अभी तक अघोषित संपत्ति के संबंध में कोई भी अधिकृत जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि करोड़ों की अघोषित संपत्ति के खुलासे की संभावना है।

शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

- शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ को कंपनी के मार्फत परिवादी से रिश्वत लेते पकड़ा
- प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शेष राशि के भुगतान की एवज में 40 हजार की रिश्वत मांगी

आरोपी शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर

झुंझुनूं/जयपुर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए नगर पालिका सूरतगढ़ के शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर को कंपनी के मार्फत परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी झुंझुनूं टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 2.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जिसमें परिवादी को एक लाख रुपये का भुगतान हो चुका है तथा शेष एक लाख पचास हजार रुपये के भुगतान की एवज में नगर पालिका सूरतगढ़ के शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है।

रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपित दीपक टेलर ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए एक लाख रुपये की एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की तथा शेष भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में बाद में बताने की कही है एवं पूर्व में भुगतान करवाई गई किश्त की एवज में 10 हजार रुपये की मांग की गई। जिस पर रिश्वत मांग के अनुसरण में एसीबी झुंझुनूं के पुलिस उप अधीक्षक शब्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए दीपक टेलर दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को अवैध संपत्ति केस में चार साल की सजा

27 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, कई वर्षों के बाद आया फैसला

- सीबीआई ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ
- सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 91.31 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की साधारण कैद और 27 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज भूपेंद्र सनाढ्य ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भगवानसिंह भंवरिया ने बताया कि वर्ष 2015 में सीबीआई जोधपुर की टीम ने इनकम टैक्स विभाग के आईटीओ शैलेंद्र भंडारी और चीफ कमिश्नर पीके शर्मा तथा बिचौलिए ज्वैलर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही दोनों अफसरों के खिलाफ की गई जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के तथ्य भी सामने आए थे। उसी आधार पर दोनों के खिलाफ अलग केस दर्ज किए गए थे। सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि एक अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 की अवधि के दौरान भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 91.31 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। इन संपत्तियों में आभूषण, घरेलू सामान, नकदी, बैंक बैलेंस, वाहन, शेयर और अचल संपत्ति शामिल थी। इसी अवधि में उनकी कुल वैध आय 61.25 लाख रुपए थी जबकि कुल व्यय 29.74 लाख रुपए था। सीबीआई की विस्तृत जांच में यह स्थापित हुआ कि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2015 के बीच शैलेंद्र भंडारी की सभी वैध स्त्रोतों से कुल आय 61.25 लाख रुपए थी। इसमें उसका वेतन, इंडियन ओवरसीज बैंक से लिया गया होम लोन, उसकी पत्नी दमयंती भंडारी और बेटे अखिल सिंह भंडारी की आय शामिल थी। इसी अवधि में उसका कुल खर्च 29.74 लाख रुपए था, जिसमें होम लोन की वापसी, क्लब मेंबरशिप फीस, बच्चों की शिक्षा, आयकर का भुगतान और घरेलू खर्च शामिल थे। इस प्रकार 61.25 लाख रुपए की आय के मुकाबले भंडारी ने 1.21 करोड़ रुपए की संपत्ति और व्यय किया, जो 59.80 लाख रुपए यानी 97.64 प्रतिशत अधिक था।

यह मामला तब सामने आया जब 31 मार्च 2015 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा और अन्य के खिलाफ धारा 120बी आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला बना। इस ट्रैप कार्रवाई के बाद शैलेंद्र भंडारी के आवासीय और कार्यालयीन परिसरों पर तलाशी ली गई। इस दौरान जब्त दस्तावेजों और एकत्र की गई जानकारी की जांच से पता चला कि भंडारी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारी संपत्ति जमा की थी। तब, 2 मार्च 2016 को सीबीआई के इंस्पेक्टर मुकेश बंसल की ओर से सीबीआई एसीबी जोधपुर द्वारा भंडारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की रिपोर्ट पर 4 मार्च 2016 को डीए केस दर्ज किया गया। विशेष न्यायालय ने शैलेंद्र भंडारी को दोषी पाया। यह धारा सार्वजनिक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित है। कई वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने 26.46 प्रतिशत अवैध संपत्ति सिद्ध होने पर भंडारी को सजा सुनाई। हालांकि तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पीके शर्मा के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है, जो अभी सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। रिश्वत के मामले में शर्मा को भी 26 सितंबर 2025 को 4 साल की सजा और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना मिल चुका है। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके पास उनकी ज्ञात आय से काफी अधिक की संपत्ति है। सीबीआई ने उनकी विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों की जांच की है।

चिकित्सा विभाग की टीम ने छापे मारे

सीकर, (निसं)। खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरूवार को विभाग की टीम ने मूण्डरू क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान 250 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर को सीज़ किया गया और मिलावट की आशंका पर 500 लीटर दूध नष्ट करवाया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक महरिया के निर्देशन में विभाग की ओर से दीपावली पर्व के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत गुरूवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा, सुरेश कुमार शर्मा की टीम ने मूण्डरू क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

यादव दूध डेयरी मूण्डरू के निरीक्षण के दौरान 250 किलो स्कीम्ड मिल पाउडर (एसएमपी) मिला, जिस पर निर्माण तिथि और यूज बार्ड डेट लिखा हुआ नहीं था। टीम ने पाउडर के दो नमूने लिए उसे सीज़ किया। साथ ही डेयरी पर दूध के दो नमूने लिए और मिलावट की आशंका पर 500 लीटर दूध नष्ट करवाया गया। टीम ने अजीतगढ़ से मिल्क केक, मावा, रसगुल्ला, मावा पेड़ा आदि मिठाइयों के दस नमूने लिए।

सायबर ठग ने तांत्रिक बनकर नौ लाख की ठगी की

- पैसों की बारिश करने का झांसा देकर परिवार को फंसाया, जान से मारने की धमकी दी
- सादुलशहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

श्रीगंगानगर, (निसं)। एक सायबर ठग ने तांत्रिक बनकर परिवार को झांसे में लिया। इसके बाद वह पीर बाबा की कृपा और तांत्रिक सिद्धियों का दावा करते हुए नौ लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला जिले के सादुलशहर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में शिकायत दी गई है।

शिकायत में में बताया कि ठग अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। श्रीगंगानगर के मोरजंडखारी निवासी विनोद कुमार ने एसीजीएम कोर्ट ने शिकायत देकर बताया कि वह गांव में मजदूरी करता है। आरोपी केवल सिंह निवासी डबवाली, सिरसा (हरियाणा) उनके घर आया और दावा किया कि वह पीर बाबा की सेवा करता है। इससे उसे तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हैं। उसने कहा कि वह किसी को भी अमीर बना सकता है। इस पर उसने विश्वास कर लिया। इसके बाद केवल सिंह ने विनोद को 23 नवंबर 2024 को डबवाली (सिरसा) बुलाया और वहां सेवा के नाम पर पैसे मांगे। विनोद ने अपने जानकार महेंद्र कुमार के गूगल-पे से 30 नवंबर 2024 को 11 हजार रुपए और बाद में अपने गूगल-पे से 3 दिसंबर को 25 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसी तरह विनोद ने टोटल अलग-अलग ट्रांजैक्शन व नकद 9 लाख 35 रुपए ले लिए। जब विनोद को कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने केवल सिंह से संपर्क किया। आरोपी ने टालमटोल करते हुए कहा कि तुम्हारा नंबर जल्द आएगा। इसके बाद में विनोद को पता चला कि केवल सिंह कोई बाबा नहीं, बल्कि सायबर ठग है। इसके बाद विनोद ने पैसे वापस मांगे। तब केवल ने धमकी दी कि मैंने तुझे बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लिए, जो करना है कर ले। अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सादुलशहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई कुलवंत सिंह कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

छह लाख की शराब जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर अवैध शराब से भरा एक टेम्पो जब्त किया है। पुलिस ने टेम्पो से 147 कार्टन शराब बरामद किए, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मध्यप्रदेश निवासी दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत बिछीवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आर रहे एक लोडिंग ऑटो को रोककर तलाशी लेने पर उसमे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। टेम्पो में प्लास्टिक की खाली कैरेट की आड़ में अवैध शराब के कार्टन छिपाकर रखे गए थे। पुलिस ने तुरंत टेम्पो को जब्त कर लिया और उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने टेम्पो से 147 कार्टन अवैध शराब बरामद की। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी रोहित मराठा और प्रियांशु वाल्मीकि के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनसे आगे की पूछताछ कर रही है ताकि इस तस्करी रैकेट के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।

लीडर अपनी जुबान को कंट्रोल रखेगा तो लोग याद रखेंगे : रंधावा

- नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ट्वीटर से एमएलए पैदा नहीं होते हैं

बीकानेर, (निसं)। नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि ट्वीटर से एमएलए पैदा नहीं होते हैं। नेता में पार्टी का काम, समर्पण, बैकग्राउंड और उसकी ईमानदारी देखी जाती है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को बीकानेर दौरे पर रहे। यहां कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में रंधावा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि लीडर को जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। नरेश मीणा को टिकट न मिलने की बात पर बोले कि वे कभी मुझसे मिले नहीं। वे बड़े नेता हैं, मैं छोटा आदमी हूं। अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले उन्होंने अपने पिता की सोनिया गांधी के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके पिता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। इस पोस्ट को लेकर जब सुखजिंदर रंधावा से सवाल किया गया तो वे बोले कि मैं साढ़े तीन साल से प्रभारी हूं। न मैं कभी उनसे मिला हूं और न वे मुझसे मिले। ट्वीटर से बहुत कुछ हो जाता है। वहां से एमएलए पैदा नहीं होते हैं।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। पार्टी कभी अमीर-गरीब नहीं देखती। मुझे दुख है कि मैंने नरेश मीणा का ट्वीटर नहीं देखा। आप बड़े लीडर हैं। आप क्या चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो मैं कर देता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने ट्वीटर देखा नहीं गलती कर दी। रंधावा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि जो हमारी पार्टी में नहीं, जिसने आज तक मुझसे मुलाकात नहीं की, वो यदि मुझे बोल देते मैं कांग्रेस जॉइन करना चाहता हूं, तो वह कह सकते थे। एक लीडर अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेगा तो लोग याद रखते हैं। जो लीडर एकदम या कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें लोग कम याद रखते हैं। लीडर को टीआरपी बढ़ाने की बात न कर लोगों की बात करें। भाया के टिकट पर कहा कि मुझे पंजाब से लाकर तो यहां लड़ाना नहीं था। इसे लेकर मैंने सभी से बात की और सभी ने एक ही नाम बताया। कांग्रेस किसी के सहारे, धर्म के विपरीत बोलकर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस अपने उसूलों और काम पर चुनाव लड़ती है।

दो हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश सहित चार गिरफ्तार

बगड़, (निसं)। झुंझुनूं पुलिस ने बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है। बगड़ थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने दो हिस्ट्रीशीटर और इनामी बदमाश सहित चार जनों को दबोचा है। गुरूवार को गिरफ्तारी के बाद बदमाशों का बगड़ के बाजार में जुलूस निकाला गया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए जयपुर और मुंबई जैसी जगहों पर फरारी काट रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपियों का पता लगाने के लिए सैंकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि करीब पांच महीने पहले 21 मई को क्यामसर निवासी एक युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह झुंझुनूं से अपने गांव जा रहा था तो प्रतापपुरा अंडरपास के समीप पांच बदमाशों ने उसकी बाइक रूकवाई और जानलेवा हमला किया। यही नहीं आरोपी उसके पास से ज्वैलरी और नगदी लूटकर ले गए। युवक ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो सभी फरार हो गए थे। इसी दौरान डीएसटी नवलगढ़ के कांस्टेबल अमित कुमार को सूचना मिली कि हार्डकोर, इनामी हिस्ट्रीशीटर बदमाश नितिश उर्फ ब्लेकिया अपने गांव माखर की ढाणी आया हुआ है। जिस पर बगड़ पुलिस ने नितिश उर्फ ब्लेकिया उर्फ कालू पुत्र उम्मेद सिंह जाट के घर पर दबिश दी तो वहां पर नितिश उर्फ ब्लेकिया मिला। उसके साथ ही मौके पर माखर निवासी राहुल उर्फ कालू पुत्र सुरेश पूनियां मिला। दोनों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर इस प्रकरण में नितिश उर्फ ब्लेकिया के साथी और सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्रीशीटर पांच हजार रूपए के इनामी बदमाश संदीप उर्फ डांग पुत्र रोहिताश्व जाट निवासी बिशनपुरा तन अगवाना तथा माखर की ढाणी निवासी अजय जाखड़ पुत्र रामनिवास जाखड़ को मठ स्टैंड के पास से दस्तयाब किया गया।

डॉ. सतीश पूनियां ने रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी

डॉ. सतीश पूनियां ने रामेश्वर डूडी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी।

- रामेश्वर डूडी के निधन से राजस्थान और समाज को काफी नुकसान हुआ : सतीश पूनिया

जयपुर/बीकानेर। भाजपा हरियाणा प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के निधन पर बीकानेर पहुंचकर रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि, रामेश्वर डूडी के निधन से राजस्थान और समाज को काफी नुकसान हुआ है, वे प्रदेश के किसानों की मुखर आवाज थे। पूनियां ने पूर्व कैबिनेट मंत्री बी.डी. कल्ला की भाभीजी सावित्री देवी के दुखद निधन पर बीकानेर में श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ईश्वर से सम्बल प्रदान करने की प्रार्थना की।

मीडिया द्वारा राजस्थान की राजनीति में नई भूमिका के सवाल पर सतीश पूनियां ने कहा कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए ऐसी चर्चा होती है, लेकिन निरंतर चलना कार्य करना इंसान की फितरत होती है और चाहे वह कोई भी हो, संगठन और जनसेवा के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। हम जैसे कार्यकर्ता, जिनके लिए संगठन और जनहित जरूरी है, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संगठन की मजबूती के लिये परिश्रम, प्रवास और कार्यकर्ताओं से संवाद बहुत जरूरी है, यही कार्य हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार को पर्ची सरकार कहने के जवाब में सतीश पूनियां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कौन से तीर मार लिए थे, अशोक गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और आज तक नदी का पानी बीकानेर नहीं ला पाए।

बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटे, आरोपी और महिला मित्र गिरफ्तार

गंगाजी की कोठी गांव में घायल बुजुर्ग महिला।

- रातभर दर्द से तड़पती रही महिला, होश आने पर रेंगते हुए रास्ते में आई और सहायता मांगी
- वाहन चालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, गम्भीर हालत में जयपुर रैफर

गंगापुर सिटी, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के गंगाजी की कोठी गांव में दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया। एक अज्ञात जना महिला को मजदूरी का झांसा देकर गंगापुर लाया और सुनसान जगह ले जाकर महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए।

पुलिस कप्तान अनिल कुमार ने बताया कि कमला देवी निवासी सीतोड गांव (बामनवास) को मजदूरी का झांसा देकर एक शख्स गंगापुर सिटी लाया था। बाद में आरोपी ने निर्ममता से महिला पर हमला कर उसके पैर काट दिए और कड़े लूटकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर हालत नाजुक होने पर जयपुर रैफर किया गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला के पैर के पंजे काटकर बदमाश चांदी के कड़े ले गए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई। होश आने पर झाड़ियों से रेंगते हुए रास्ते में आई और मदद मांगी। वारदात गंगापुरसिटी इलाके में बुधवार रात की है। पुलिस ने गुरुवार शाम मामले का खुलासा करते हुए युवक और उसकी महिला मित्र को अरेस्ट कर लिया। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि 5 अक्टूबर को पिपलाई कस्बे में एक अज्ञात व्यक्ति उससे मिला था। उसने बताया कि उसके कई जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और मजदूरों की आवश्यकता है। भरोसा दिलाते हुए उसने कमला देवी से मोबाइल नंबर लिया। 8 अक्टूबर को महिला को कॉल कर गंगापुर सिटी मजदूरी करने बुला लिया। कमला देवी अपनी बहू सीमा और पड़ोसी उगंती के साथ मजदूरी के लिए 8 अक्टूबर की सुबह गंगापुर सिटी पहुंची। वहां कॉल करने पर वही व्यक्ति बाइक से बाइपास तिराहा आया। सीमा और उगंती को बाइक पर बैठाकर उदेई मोड छोड़ दिया। अज्ञात व्यक्ति ने बहू से कहा कि मैं तुम्हारी सास को लेकर आता हूं। उसने सीमा का मोबाइल भी अपने पास रख लिया। काफी देर तक महिला के नहीं आने पर बहु सीमा और उगती 8 अक्टूबर की शाम सदर थाना गंगापुर सिटी पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था।

एसपी ने बताया कि गुरुवार सुबह गंगाजी कोठी पुलिया के जाट बडौदा रास्ते पर एक महिला के घायल हालत में पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला के दोनों पैर के पंजे कटे हुए थे। महिला के दोनों पैर में चांदी के कड़े नहीं थे। बदमाश महिला के पैर के पंजे काटकर चांदी के कड़े लूट ले गए। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने एक महिला सहित एक पुरूष आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक महीने पहले ही सेवर जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने पीड़ित महिला की बहू के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी रामोतार उर्फ काडू बैरवा (32), निवासी खेड़ा बाढ़ रामगढ़ गंगापुर सिटी और उसकी महिला मित्र तनु उर्फ सोनिया पत्नी रामोतार पुजारी निवासी भैंसा थाना गहनोली मोड भरतपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पूर्व में भी इसी प्रकार की वारदात कर चुका है। आरोपियों ने जिन लोगों को कड़े बेचे, उनकी भी पहचान कर ली गई है। आरोपियों से कड़े बेचने पर मिले रुपए जब्त किए हैं।

विदेशी महिला की हार्ट अटैक से मौत

भरतपुर, (निसं)। एक विदेशी महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 85 वर्षीय डोरोथी ली नोरा के रूप में हुई, जो अमेरिका के अटलांटा की निवासी थी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

जानकारी के अनुसार वह फतेहपुर सीकरी के बाद रणथंभोर जाने वाली थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक महिला हाई बीपी और शुगर की बीमारी से परेशान थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में टोंक निवासी चालक की मौत

टोंक, (निसं)। जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे पर सावरदा गांव में मंगलवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे में टोंक निवासी टैंकर चालक रामराज मीणा की मौत हो गई। हादसे के दौरान चालक रामराज के चीथड़े उड़ गए थे। मौके पर मिले शव के अवशेष को इकठ्ठा कर एक थैले में समेटकर एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया, जहां से थैली को लेकर परिजन पैतृक घर पहुंचे। बुधवार देर शाम जैसे ही रामराज के शव से भरी थैली को लेकर भाई ग्राम राजकोट में पैतृक घर पहुंचा तो चीख-पुकार मच गई, जिसे देखकर मृतक की पत्नी बेसुध हो गई और दो छोटे बच्चे भी चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के पिता किशन की 12 साल पहले मौत हो चुकी है, तीन भाई है, जिनमें रामराज सबसे छोटा था। रामराज के शव का अन्तिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर की रात जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस-वे पर सावरदा गांव के पास केमिकल टैंकर ने घरेलू गैस सिलेंडर भरे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे केमिकल से भरा टैंकर आग का गोला बन गया, कुछ ही देर में गैस सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। सिलेंडर 40 से 50 फीट तक उछलकर ब्लास्ट हुए। इस हादसे में टैंकर चालक रामराज मीणा जिंदा जल गया था। इस दौरान पांच लोग घायल हो गए थे।